बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या– **CSTL/197/2015** ..../कृ0, 1597 पटना, दिनांक–21 मार्च 2016

प्रेषक,

प्रभू राम
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अंतर्गत घटक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) योजना अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन वर्ष 2015–16 में केन्द्रांश–2.93750 लाख रुपये (दो लाख तिरानवे हजार सात सौ पचास रुपये) की लागत पर व्यय की जाने की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

निदेशानुसार राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अंतर्गत घटक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) योजना अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन हेतु वर्ष 2015–16 में केन्द्रांश–2.93750 लाख रुपये (दो लाख तिरानवे हजार सात सौ पचास रुपये) अंतर्गत निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अंतर्गत घटक योजना मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन वर्ष 2015–16 में स्वीकृत इस कार्यक्रम के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला बिहार पटना होंगे। उनके द्वारा विकास भवन, सचिवालय कोषागार पटना से स्वीकृत राशि के अधीन राशि की निकासी की जा सकेगी । इस योजना का कार्यान्वयन निदेशक, बामेति द्वारा किया जाना है।

3. कार्यशाला मद की राशि की निकासी संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोग ाला बिहार पटना द्वारा बामेति के पूर्व प्राप्ति रसीद पर सचिवालय कोषागार से की जाएगी तथा इसे बामेति को उपलब्ध कराया जाएगा। निदेशक बामेति द्वारा इस योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देश के आलोक में राशि का व्यय किया जाएगा तथा राशि व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

4. निकासी के लिए स्वीकृत राशि 2.93750 लाख रुपये (दो लाख तिरानवे हजार सात सौ पचास रुपये) केन्द्रांश मद में ''2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 105–खाद तथा उर्वरक, उप शीर्ष–0207–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड– P2401001050207, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा ''माँग सं0–1 में उपबंधित 1914.20 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

5. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन पर मंत्री परिषद् की बैठक दिनांक 08.03.2016 में मद संख्या–9 पर स्वीकृति प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति पत्र संचिका संख्या–**CSTL**/197/2015 के पृ0सं0–21/टि० पर प्राप्त है।

5. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

6. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– **CSTL**/197/2015 के पृ0सं0–..23../टि० पर दिनांक– ....17.03.16....को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभू राम)
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

H:\final Sanlekh 24-9-15\Rajyadesh SHM 2.9375lakh.docx